कार्यालय– शिव कुमार कौशल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवास (म.प्र)

:: कार्य विभाजन आदेश ::

(अन्तर्गत धारा 14 एवं 15 द.प्र.सं.)

क्रमांक 06/सीजेएम/2024 देवास, दिनांक 04.01.2024

मैं शिव कुमार कौशल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवास दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 15 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए देवास जिले में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटों के मध्य आपराधिक प्रकरणों के संबंध में उचित रूप से कार्य वितरण/संपादन हेतु पूर्व में जारी समस्त आपराधिक कार्य विभाजन आदेश को अतिष्ठित करते हुए निम्नांकित कार्य विभाजन आदेश जारी करता हूँ, जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, देवास के अनुमोदन के उपरांत दिनांक **09.01.2024** से प्रभावी होगा।

क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम/ पद	प्रकरणों का स्वरूप एवं क्षेत्राधिकार	
1	**श्री शिव कुमार कौशल,** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवास	1	आरक्षी केन्द्र **कोतवाली, सिविल लाईन, यातायात, जी. आर.पी.** देवास से उत्पन्न होने वाले पुलिस अभियोग पत्र जो नियमित या संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा विचारण योग्य है। दांड़िक प्रकरणों मे ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई का एक मात्र क्षेत्राधिकार भिन्न अधिनियमों के अधीन गठित विशेष न्यायालयों, जिनमे ग्राम न्यायालय शामिल है, को है।
		2	आरक्षी केन्द्र **कोतवाली** एवं **सिविल लाईन** से उत्पन्न होने वाले परिवाद पत्र, एफ.आर.।
		3	आरक्षी केन्द्र **कोतवाली**, **सिविल लाईन** देवास से म.प्र. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त अभियोग पत्र एवं परिवाद पत्र।
		4	आबकारी वृत्त, देवास से उत्पन्न होने वाले समस्त दांडिक प्रकरण।
		5	जिला देवास की राजस्व तहसील टोकखुर्द, सोनकच्छ, बागली, कन्नौद, खातेगॉव, सतवास, हाटपीपल्या को छोड़कर समस्त जिले के निम्नलिखित अधिनियमों से उत्पन्न दांडिक प्रकरण –
			A ड्रग्स + कास्मेटिक अधिनियम
			B खाद्य एवं अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954
			C दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958
			D नापतौल अधिनियम
		6	श्रम विभाग जिला देवास से उत्पन्न होने वाले विधि अनुसार समस्त दाण्डिक प्रकरण।
		7	कृषि उपज मंडी अधिनियम से उद्भूत समस्त दांडिक प्रकरण।
		8	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी देवास द्वारा मोटर यान अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण।
		9	वन विभाग, देवास (मुख्यालय) द्वारा भारतीय वन अधिनियम, वन्य प्राणी सरंक्षण अधिनियम एवं अन्य सभी वन संबंधी विधियों के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले दांडिक प्रकरण।

		10	भारतीय खनन अधिनियम एवं अन्य सभी खनन संबंधी विधियों के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले दांडिक प्रकरण ।
		11	म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत समस्त दांडिक प्रकरण।
		12	सम्पूर्ण जिला देवास से उत्पन्न एवं प्रस्तुत होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत समस्त अभियोग पत्र एवं परिवाद पत्र।
		13	मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के अन्तर्गत समस्त कार्यवाहियॉ।
		14	दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 322, 325 के अन्तर्गत विभिन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा प्रेषित प्रकरण
		15	देवास जिले के समस्त आरक्षी केन्द्रों में चलित न्यायालय लगाए जाने का कार्य।
		16	नगर निगम देवास के अंतर्गत नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत दाण्डिक प्रकरण।
		17	न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा श्रवण योग्य ऐसे समस्त दांडिक प्रकरण जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन पत्र मे नहीं है।
2	**श्री यशपालसिंह, II CJ-I/** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला रजिस्ट्रार, देवास	1	आरक्षी केन्द्र **बैंक नोट प्रेस,** देवास से उत्पन्न होने वाले पुलिस अभियोग पत्र जो नियमित या संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा विचारण योग्य है। दांड़िक प्रकरणों मे ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई का एक मात्र क्षेत्राधिकार भिन्न अधिनियमों के अधीन गठित विशेष न्यायालयों, जिनमे ग्राम न्यायालय शामिल है, को है।
		2	आरक्षी केन्द्र **बैंक नोट प्रेस,** से उत्पन्न होने वाले परिवाद पत्र, एफ.आर.।
		3	आरक्षी केन्द्र **बैंक नोट प्रेस देवास से** म.प्र. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त अभियोग–पत्र एवं परिवाद पत्र।
		4	आरक्षी केन्द्र **बैंक नोट प्रेस,** के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 के समस्त परिवाद एवं अन्य परिवाद व एफ.आर.।
		5	आरक्षी केन्द्र **बैंक नोट प्रेस,** से उत्पन्न होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं संरक्षण अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले प्रकरण।
		6	आरक्षी केन्द्र **बैंक नोट प्रेस,** से उत्पन्न होने वाले धारा 125, 126, 127, 125 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के भरण–पोषण से संबंधित विविध दाण्डिक प्रकरण।
		7	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवास द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त दांडिक प्रकरण एवं परिवाद।
	ग्राम न्यायालय	8	म.प्र.शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना दिनांक 23.10.09 पत्र क्रं. 17(ई) 43/2009/21–बी (एक) ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत

			सिविल जिला देवास के राजस्व तहसील **देवास** की क्षेत्रीय अधिकार के अन्तर्गत आने वाली जनपद पंचायत/जनपद पंचायतों से उत्पन्न होने वाले ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत आने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, देवास तहसील के समस्त आरक्षी केन्द्र अन्तर्गत आने वाले आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद पत्र ग्राम न्यायालय अधिनियम संबंधी।
3	**श्रीमती अनु सिंह, III CJ-I/ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास**	1	आरक्षी केन्द **नाहर दरवाजा** देवास से उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के अभियोग पत्र जो नियमित या संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा विचारण योग्य है। दांड़िक प्रकरणों मे ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई का एक मात्र क्षेत्राधिकार भिन्न अधिनियमों के अधीन गठित विशेष न्यायालयों, जिनमे ग्राम न्यायालय शामिल है, को है।
		2	आरक्षी केन्द **नाहर दरवाजा** से उत्पन्न होने वाले परिवाद पत्र, एफ.आर.।
		3	आरक्षी केन्द्र **नाहर दरवाजा** से म.प्र. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त अभियोग–पत्र एवं परिवाद पत्र।
		4	आरक्षी केन्द्र **नाहर दरवाजा** से उत्पन्न होने वाले घ ारेलू हिंसा से महिलाओं संरक्षण अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले प्रकरण।
		5	आरक्षी केन्द्र **नाहर दरवाजा** से उत्पन्न होने वाले धारा 125, 126, 127, 125 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के भरण–पोषण से संबंधित विविध दाण्डिक प्रकरण।
		6	आरक्षी केन्द्र **नाहर दरवाजा** के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 के समस्त परिवाद एवं अन्य परिवाद व एफ.आर.।
		7	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त दांडिक प्रकरण एवं परिवाद।
4	**श्री प्रियांशु पाण्डे** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास	1	आरक्षी केन्द्र **औद्योगिक क्षेत्र** देवास से उत्पन्न होने वाले पुलिस अभियोग पत्र जो नियमित या संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा विचारण योग्य है। दांडिक प्रकरणों में ऐस प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई की अधिकारिता विविध अधिनियमों के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय या ग्राम न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास को है।
		2	थाना **औद्योगिक क्षेत्र, देवास** से उत्पन्न होने वाले परिवाद पत्र एवं एफ.आर.।
		3	आरक्षी केन्द्र **औद्योगिक क्षेत्र** से म.प्र. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त अभियोग–पत्र एवं परिवाद पत्र।

		4	आरक्षी केन्द्र **औद्योगिक क्षेत्र देवास** के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 के समस्त परिवाद एवं अन्य परिवाद व एफ.आर.।
		5	आरक्षी केन्द्र **औद्योगिक क्षेत्र देवास** से उत्पन्न होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं संरक्षण अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले प्रकरण।
		6	आरक्षी केन्द्र **औद्योगिक क्षेत्र** से उत्पन्न होने वाले धारा 125, 126, 127, 125 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के भरण–पोषण से संबंधित विविध दाण्डिक प्रकरण।
		7	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त दांडिक प्रकरण एवं परिवाद।
5	**सुश्री रश्मि खुराना,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास	1	**आरक्षी केन्द बैंक नोट प्रेस, नाहर दरवाजा, बरोठा एवं विजयगंज मण्डी** से उत्पन्न महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराध से संबंधित समस्त प्रकार के अभियोग–पत्र एवं परिवाद पत्र। ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई की अधिकारिता विविध अधिनियमों के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास को है।
		2	आरक्षी केन्द्र **कोतवाली एवं सिविल लाईन,** के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 के समस्त परिवाद ।
		3	आरक्षी केन्द्र **कोतवाली एवं सिविल लाईन,** से उत्पन्न होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं संरक्षण अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले प्रकरण।
		4	आरक्षी केन्द्र **कोतवाली एवं सिविल लाईन** से उत्पन्न होने वाले धारा 125, 126, 127, 125 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के भरण–पोषण से संबंधित विविध दाण्डिक प्रकरण।
		5	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त दांडिक प्रकरण एवं परिवाद।

6	**श्री अब्दुल अजहर अंसारी** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास	1	आरक्षी केन्द्र **विजयागंज मण्डी** देवास से उत्पन्न समस्त प्रकार के अभियोग–पत्र एवं परिवाद पत्र, ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई की अधिकारिता विविध अधिनियमों के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय या ग्राम न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास को है।
		2	आरक्षी केन्द **विजयागंज मण्डी** से उत्पन्न होने वाले परिवाद पत्र, एफ.आर.।
		3	आरक्षी केन्द्र **विजयागंज मण्डी** से म.प्र. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त अभियोग–पत्र एवं परिवाद पत्र।
		4	आरक्षी केन्द्र **विजयागंज मण्डी** के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 के समस्त परिवाद।
		5	आरक्षी केन्द्र **विजयागंज मण्डी** के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 के समस्त परिवाद।
		6	आरक्षी केन्द्र **विजयागंज मण्डी** से उत्पन्न होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं संरक्षण अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले प्रकरण।
		7	आरक्षी केन्द्र **विजयागंज मण्डी** से उत्पन्न होने वाले धारा 125, 126, 127, 125 (3) दण्ड प्रकिया संहिता के भरण–पोषण से संबंधित विविध दाण्डिक प्रकरण।
		8	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त दांडिक प्रकरण एवं परिवाद।
7	**श्रीमती श्वेता अग्रवाल,** **न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास**	1	आरक्षी केन्द्र **बरोठा** जिला देवास से उत्पन्न समस्त प्रकार के अभियोग–पत्र एवं परिवाद पत्र, ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई की अधिकारिता विविध अधिनियमों के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय या ग्राम न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास को है।
		2	आरक्षी केन्द **बरोठा** से उत्पन्न होने वाले परिवाद पत्र, एफ.आर.।
		3	आरक्षी केन्द्र **बरोठा** से म.प्र. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त अभियोग–पत्र एवं परिवाद पत्र।
		4	आरक्षी केन्द्र **बरोठा** के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 के समस्त परिवाद।

		5	आरक्षी केन्द्र **बरोठा** से उत्पन्न होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं संरक्षण अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले प्रकरण।
		6	आरक्षी केन्द्र **बरोठा** से उत्पन्न होने वाले धारा 125, 126, 127, 125 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के भरण–पोषण से संबंधित विविध दाण्डिक प्रकरण।
		7	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त दांडिक प्रकरण एवं परिवाद।
8	**श्रीमती आफरीन युसुफजाई,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास	1	**महिला थाना, देवास** से संबंधित समस्त प्रकार के अभियोग पत्र एवं परिवाद पत्र, ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई की अधिकारिता विविध अधिनियमों के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय या ग्राम न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है।
		2	आरक्षी केन्द्र **कोतवाली**, **सिविल लाईन, औद्योगिक क्षेत्र, देवास** से उत्पन्न महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराध से संबंधित समस्त प्रकार के अभियोग–पत्र एवं परिवाद पत्र। ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई की अधिकारिता विविध अधिनियमों के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास को है।
		3	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त दांडिक प्रकरण एवं परिवाद।
9	**श्री सौरभ जैन,** न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, **प्रशिक्षु न्यायाधीश, देवास**	1	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त दांडिक प्रकरण एवं परिवाद।
10	**सुश्री पारूल जैन,** न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, **प्रशिक्षु न्यायाधीश, देवास**	1	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त दांडिक प्रकरण एवं परिवाद।
11	**सुश्री संध्या मुदगल** न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, **प्रशिक्षु न्यायाधीश, देवास**	1	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त दांडिक प्रकरण एवं परिवाद।
सोनकच्छ			
12	**कु. स्वाति बजाज** श्रीमती रूचिता सिंह गुर्जर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सोनकच्छ, जिला देवास	1	आरक्षी केन्द्र **सोनकच्छ** से उत्पन्न समस्त प्रकार के अभियोग–पत्र एवं परिवाद पत्र, ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई की अधिकारिता विविध अधिनियमों के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास को है।
			आरक्षी केन्द्र **सोनकच्छ** से म.प्र. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त अभियोग पत्र एवं परिवाद पत्र।
		2	आरक्षी केन्द्र **सोनकच्छ** से उत्पन्न महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराध से संबंधित समस्त प्रकार के अभियोग–पत्र एवं परिवाद पत्र। ऐसे प्रकरणों को

			छोड़कर जिनकी सुनवाई की अधिकारिता विविध अधिनियमों के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास को है।
		3	आरक्षी केन्द्र **सोनकच्छ** के घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले प्रकरण।
		4	आरक्षी केन्द्र **सोनकच्छ** से उत्पन्न होने वाले धारा 125, 126, 127, 125 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के भरण–पोषण से संबंधित विविध दाण्डिक प्रकरण।
		5	थाना **सोनकच्छ, भौंरासा एवं पीपलरावॉ** से उत्पन्न खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, औषधी विभाग, म.प्र.प्रदूषण बोर्ड विभाग, नाप–तोल विभाग, नगर पालिका, कृषि उपज मंडी अधिनियम (समिति द्व ारा प्रस्तुत), सेन्ट्रल एक्साईज से संबंधित प्रस्तुत समस्त दाण्डिक प्रकरण।
		6	**सोनकच्छ तहसील** क्षेत्र के क्षेत्राधिकार मे उत्पन्न होने वाले धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 के समस्त परिवाद।
		7	राजस्व तहसील सोनकच्छ से उत्पन्न भारतीय वन अधिनियम, वन्य प्राणी सरंक्षण अधिनियम एवं अन्य सभी वन संबंधी विधियों तथा भारतीय खनन अधिनियम एवं अन्य सभी खनन संबंधी विधियों के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले दांडिक प्रकरण। ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई की अधिकारिता विविध अधिनियमों के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय को है।
		8	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवास द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त दांडिक प्रकरण एवं परिवाद ।
13	**सुश्री निकिता पवांर,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सोनकच्छ, जिला देवास	1	राजस्व तहसील सोनकच्छ के अन्तर्गत आने वाले आरक्षी केन्द्र **भौंरासा एवं पीपलरावॉ** से उत्पन्न समस्त प्रकार के अभियोग–पत्र एवं परिवाद पत्र, ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई की अधिकारिता विविध अधिनियमों के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास को है।
			राजस्व तहसील सोनकच्छ के अन्तर्गत आने वाले आरक्षी केन्द्र **पीपलरांवा एवं भौंरासा** से उत्पन्न महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराध से संबंधित समस्त प्रकार के अभियोग–पत्र एवं परिवाद पत्र। ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई की अधिकारिता विविध अधिनियमों के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास को है।
			राजस्व तहसील सोनकच्छ के अन्तर्गत आने वाले आरक्षी केन्द्र **पीपलरांवा एवं भौंरासा** के घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत

			उत्पन्न होने वाले प्रकरण।
			राजस्व तहसील सोनकच्छ के अन्तर्गत आने वाले आरक्षी केन्द्र **पीपलरांवा एवं भौंरासा** से उत्पन्न होने वाले धारा 125, 126, 127, 125 (3) दण्ड प्रकिया संहिता के भरण–पोषण से संबंधित विविध दाण्डिक प्रकरण।
		2	थाना **भौंरासा एवं पीपलरावॉ** से उत्पन्न म.प्र. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत समस्त प्रकार के अभियोग–पत्र एवं परिवाद पत्र ।
		3	थाना **भौंरासा एवं पीपलरावॉ** के क्षेत्राधिकार मे उत्पन्न होने वाले धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 के समस्त परिवाद।
		4	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवास द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त दांडिक प्रकरण एवं परिवाद ।
टोकखुर्द			
14	**श्री बुदेसिंह सोलंकी** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी टोकखुर्द, जिला देवास	1	आरक्षी केन्द्र **टोंकखुर्द एवं भौंरासा** (राजस्व तहसील टोंकखुर्द) से उत्पन्न समस्त प्रकार के अभियोग–पत्र एवं परिवाद पत्र ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई की अधिकारिता विविध अधिनियमों के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास को है।
		2	थाना **टोकखुर्द एवं भौंरासा** से उत्पन्न खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, औषधी विभाग, म.प्र.प्रदूषण बोर्ड विभाग, नाप–तोल विभाग, नगर पालिका, कृषि उपज मंडी अधिनियम (समिति द्वारा प्रस्तुत), सेन्ट्रल एक्साईज से संबंधित प्रस्तुत समस्त दाण्डिक प्रकरण।
		3	राजस्व तहसील **टोंकखुर्द** से उत्पन्न भारतीय वन अधिनियम, वन्य प्राणी सरंक्षण अधिनियम एवं अन्य सभी वन संबंधी विधियों तथा भारतीय खनन अधिनियम एवं अन्य सभी खनन संबंधी विधियों के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले दांडिक प्रकरण । ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई की अधिकारिता विविध अधिनियमों के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय को है ।
		4	थाना **टोंकखुर्द एवं भौंरासा** से उत्पन्न म.प्र. आबकारी अधिनियम से उत्पन्न एवं प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकार के अभियोग–पत्र, परिवाद पत्र एवं एफ.आर.।
		5	**आरक्षी केन्द्र टोंकखुर्द एवं भौंरासा** क्षेत्र के क्षेत्राधिकार मे उत्पन्न होने वाले धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 के समस्त परिवाद पत्र ।
		6	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवास द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त दांडिक प्रकरण एवं परिवाद ।

15	**सुश्री श्वेता खरे,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, टोकखुर्द, जिला देवास	1	राजस्व तहसील टोंकखुर्द के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले आरक्षी केन्द्र **पीपलरांवा एवं मक्सी** से उत्पन्न समस्त प्रकार के अभियोग–पत्र एवं परिवाद पत्र, ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई की अधिकारिता विविध अधिनियमों के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास को है ।
		2	राजस्व तहसील टोंकखुर्द के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले आरक्षी केन्द्र **टोंकखुर्द, मक्सी, पीपलरांवा एवं भौंरासा** से उत्पन्न महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराध से संबंधित समस्त प्रकार के अभियोग–पत्र एवं परिवाद पत्र, ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई की अधिकारिता विविध अधिनियमों के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय या ग्राम न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास को है.
		3	थाना **पीपलरांवा एवं मक्सी** से उत्पन्न म.प्र. आबकारी अधिनियम से उत्पन्न एवं प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकार के अभियोग–पत्र, परिवाद पत्र एवं एफ.आर.।
		4	**आरक्षी केन्द्र पीपलरांवा एवं मक्सी** क्षेत्र के क्षेत्राधिकार मे उत्पन्न होने वाले धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 के समस्त परिवाद पत्र ।
		5	राजस्व तहसील टोंकखुर्द के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले आरक्षी केन्द्र **टोंकखुर्द, मक्सी, पीपलरांवा एवं भौंरासा** में आने वाले ग्रामों से उत्पन्न घरेलु हिंसा से महिलाओं संरक्षण अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले प्रकरण ।
		6	राजस्व तहसील टोंकखुर्द के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले आरक्षी केन्द्र **टोंकखुर्द, मक्सी, पीपलरांवा एवं भौंरासा** से उत्पन्न होने वाले धारा 125, 126, 127, 125 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के भरण–पोषण से संबंधित विविध दाण्डिक प्रकरण ।
		7	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवास द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त दांडिक प्रकरण एवं परिवाद ।
बागली			
16	**श्री राकेश कुमार जाटव,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बागली, जिला देवास	1	आरक्षी केन्द्र **हाटपीपल्या** से उत्पन्न समस्त प्रकार के अभियोग–पत्र एवं परिवाद पत्र। ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई की अधिकारिता विविध अधिनियमों के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय या ग्राम न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास को है।
		2	**राजस्व तहसील बागली, हाटपीपल्या एवं उदयनगर** से उत्पन्न खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, औषधि विभाग, म.प्र. प्रदूषण बोर्ड विभाग, नाप–तोल विभाग, नगर पालिका, कृषि उपज मंडी अधिनियम (समिति द्वारा प्रस्तुत), सेन्ट्रल एक्साईज से संबंधित प्रस्तुत समस्त दाण्डिक प्रकरण।
		3	**थाना हाटपीपल्या** से उत्पन्न आबकारी विभाग के समस्त प्रकार के अभियोग–पत्र एवं परिवाद पत्र।

			थाना हाटपीपल्या के क्षेत्राधिकार मे उत्पन्न होने वाले धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 के समस्त परिवाद वं अन्य परिवाद व एफ.आर.।
		4	राजस्व तहसील **बागली, उदयनगर एवं हाटपीपल्या** से उत्पन्न भारतीय वन अधिनियम, वन्य प्राणी सरंक्षण अधिनियम एवं अन्य सभी वन संबंधी विधियों के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले दांडिक प्रकरण। भारतीय खनन अधिनियम एवं अन्य सभी खनन संबंधी विधियों के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले दांडिक प्रकरण। ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई की अधिकारिता विविध अधिनियमों के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय को है।
		5	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवास द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त दांडिक प्रकरण एवं परिवाद।
17	**सुश्री वीणा अग्निहोत्री,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बागली, जिला देवास	1	आरक्षी केन्द्र **बागली, उदयनगर** से उत्पन्न समस्त प्रकार के अभियोग–पत्र एवं परिवाद पत्र। ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई की अधिकारिता विविध अधिनियमों के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय या ग्राम न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास को है ।
		2	आरक्षी केन्द्र **बागली, हाटपीपल्या एवं उदयनगर** से उत्पन्न महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराध से संबंधित अभियोग पत्र एवं परिवाद पत्र। ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई की अधिकारिता विविध अधिनियमों के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय या ग्राम न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास को है ।
		3	**थाना बागली, उदयनगर** से उत्पन्न आबकारी विभाग के समस्त प्रकार के अभियोग–पत्र एवं परिवाद पत्र।
		4	**थाना बागली, उदयनगर** के क्षेत्राधिकार मे उत्पन्न होने वाले धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 के समस्त परिवाद एवं अन्य परिवाद व एफ.आर.।
		5	आरक्षी केन्द्र **हाटपीपल्या बागली, उदयनगर** से उत्पन्न होने वाले धारा 125, 126, 127, 125 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के भरण–पोषण से संबंधित विविध दाण्डिक प्रकरण ।
		6	आरक्षी केन्द्र **हाटपीपल्या, बागली, उदयनगर** के घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले प्रकरण ।
		7	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त दांडिक प्रकरण एवं परिवाद।
कन्नौद			
18	**श्रीमती मीना शाह,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कन्नौद, जिला देवास	1	आरक्षी केन्द्र **कन्नौद** से उत्पन्न समस्त प्रकार के अभियोग–पत्र एवं परिवाद पत्र। ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई की अधिकारिता विविध अधिनियमों के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय या ग्राम न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास को है ।

		2	राजस्व तहसील **कन्नौद** में उत्पन्न खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, औषधी विभाग, म.प्र.प्रदूषण बोर्ड विभाग, नाप–तोल विभाग, नगर पालिका, कृषि उपज मंडी अधिनियम (समिति द्वारा प्रस्तुत), सेन्ट्रल एक्साईज से संबंधित प्रस्तुत समस्त दाण्डिक प्रकरण ।
		3	**थाना कन्नौद, सतवास कॉटाफोड़** से उत्पन्न आबकारी विभाग के समस्त प्रकार के अभियोग–पत्र एवं परिवाद पत्र।
		4	**थाना कन्नौद** के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 के समस्त परिवाद एवं अन्य परिवाद व एफ.आर.।
		5	राजस्व तहसील **कन्नौद** में उत्पन्न भारतीय वन अधिनियम, वन्य प्राणी सरंक्षण अधिनियम एवं अन्य सभी वन संबंधी विधियों तथा भारतीय खनन अधिनियम एवं अन्य सभी खनन संबंधी विधियों के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले दांडिक प्रकरण। ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई की अधिकारिता विविध अधिनियमों के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय को है।
		6	आरक्षी केन्द्र **कन्नौद** से उत्पन्न होने वाले धारा 125, 126, 127, 125 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के भरण–पोषण से संबंधित विविध दाण्डिक प्रकरण ।
		7	आरक्षी केन्द्र **कन्नौद** के घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले प्रकरण ।
		8	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवास द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त दांडिक प्रकरण एवं परिवाद ।
	ग्राम न्यायालय	9	म.प्र.शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना दिनांक 23.10.09 पत्र कं. 17(ई) 43/2009/21–बी (एक) ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत सिविल जिला देवास के राजस्व तहसील **कन्नौद** की क्षेत्रीय अधिकार के अन्तर्गत आने वाली जनपद पंचायत/जनपद पंचायतों से उत्पन्न होने वाले ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत आने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, कन्नौद तहसील के समस्त आरक्षी केन्द्र अन्तर्गत आने वाले आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद पत्र ग्राम न्यायालय अधिनियम संबंधी ।
19	**सुश्री नंदिता उईके,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कन्नौद	1	आरक्षी केन्द्र **सतवास** से उत्पन्न समस्त प्रकार के अभियोग–पत्र एवं परिवाद पत्र। ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई की अधिकारिता विविध अधिनियमों के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय या ग्राम न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास को है।
		2	**थाना सतवास** के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 के समस्त परिवाद एवं अन्य परिवाद व एफ.आर.।
		3	आरक्षी केन्द्र **सतवास, कॉटाफोड़ एवं कन्नौद** से उत्पन्न महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराध से संबंधित अभियोग पत्र एवं परिवाद पत्र। ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई की अधिकारिता विविध अधिनियमों के

			अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय या ग्राम न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास को है ।
		4	आरक्षी केन्द्र **सतवास** से उत्पन्न होने वाले धारा 125, 126, 127, 125 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के भरण–पोषण से संबंधित विविध दाण्डिक प्रकरण ।
		5	आरक्षी केन्द्र **सतवास** के घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले प्रकरण ।
		6	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवास द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त दांडिक प्रकरण एवं परिवाद।
20	**सुश्री हर्षिता सोनी,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कन्नौद	1	आरक्षी केन्द्र **कॉटाफोड़** से उत्पन्न समस्त प्रकार के अभियोग–पत्र एवं परिवाद पत्र, ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई की अधिकारिता विविध अधिनियमों के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय या ग्राम न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास को है।
		2	**थाना कॉटाफोड़** के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 के समस्त परिवाद एवं अन्य परिवाद व एफ.आर.।
		3	आरक्षी केन्द्र **कॉटाफोड़** से उत्पन्न होने वाले धारा 125, 126, 127, 125 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के भरण–पोषण से संबंधित विविध दाण्डिक प्रकरण ।
		4	आरक्षी केन्द्र **कांटाफोड** के घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले प्रकरण ।
		5	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवास द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त दांडिक प्रकरण एवं परिवाद।
खातेगॉव			
21	**श्रीमती संचिता भदकारिया,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खातेगॉव, जिला देवास	1	आरक्षी केन्द्र **खातेगांव** से उत्पन्न समस्त प्रकार के अभियोग–पत्र एवं परिवाद पत्र ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई की अधिकारिता विविध अधिनियमों के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय या ग्राम न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवास को है ।
		2	**थाना खातेगॉव** के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 के समस्त परिवाद एवं अन्य परिवाद व एफ.आर.।
		3	आरक्षी केन्द्र **खातेगॉव** से म.प्र. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत उत्पन्न समस्त प्रकार के अभियोग–पत्र एवं परिवाद पत्र ।
		4	राजस्व तहसील **खातेगॉव** से उत्पन्न खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, औषधी विभाग, म.प्र.प्रदूषण बोर्ड विभाग, नाप–तोल विभाग, नगर पालिका, कृषि उपज मंडी अधिनियम (समिति द्वारा प्रस्तुत सेन्ट्रल एक्साईज से संबंधित प्रस्तुत समस्त दाण्डिक प्रकरण।
		5	आरक्षी केन्द्र **खातेगॉव नेमावर, हरणगॉव** से उत्पन्न

			महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराध से संबंधित अभियोग पत्र एवं परिवाद पत्र। ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई की अधिकारिता विविध अधिनियमों के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय या ग्राम न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास को है।
		6	सम्पूर्ण राजस्व तहसील **खातेगांव** से उत्पन्न भारतीय वन अधिनियम, वन्य प्राणी सरंक्षण अधिनियम एवं अन्य सभी वन संबंधी विधियों तथा भारतीय खनन अधिनियम एवं अन्य सभी खनन संबंधी विधियों के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले दांडिक प्रकरण। ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई की अधिकारिता विविध अधिनियमों के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय को है।
		7	आरक्षी केन्द्र **खातेगॉव** से उत्पन्न होने वाले धारा 125, 126, 127, 125(3) द.प्र.सं के भरण–पोषण से संबंधित विविध दाण्डिक प्रकरण।
		8	आरक्षी केन्द्र **खातेगॉव** के घरेलु हिंसा से महिलाओं संरक्षण अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले प्रकरण।
		9	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवास द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त दांडिक प्रकरण एवं परिवाद ।
22	**श्री राजू पन्द्रे** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खातेगांव, जिला देवास	1.	आरक्षी केन्द्र **नेमावर, हरणगॉव** से उत्पन्न समस्त प्रकार के अभियोग–पत्र एवं परिवाद पत्र ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई की अधिकारिता विविध अधिनियमों के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय या ग्राम न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवास को है।
		2	आरक्षी केन्द्र **नेमावर, हरणगॉव** से आबकारी अधिनियम से उत्पन्न समस्त प्रकार के अभियोग–पत्र एवं परिवाद पत्र ।
		3	आरक्षी केन्द्र **नेमावर, हरणगॉव** के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 के समस्त परिवाद एवं अन्य परिवाद व एफ.आर.।
		4	आरक्षी केन्द्र **नेमावर, हरणगॉव** से उत्पन्न होने वाले धारा 125, 126, 127, 125(3) द.प्र.सं के भरण–पोषण से संबंधित विविध दाण्डिक प्रकरण।
		5	आरक्षी केन्द्र **नेमावर, हरणगॉव के** घरेलु हिंसा से महिलाओं संरक्षण अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले प्रकरण।
		6	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवास द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त दांडिक प्रकरण एवं परिवाद ।

2– भारत का राजपत्रः असाधारण नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 23, 2022/पौष 2, 1944. वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा जारी अधिसूचना नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2022 द्वारा केन्द्र सरकार स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985(1985 का 61) के तहत, धारा 52–क के साथ पठित, धारा 76, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नवीन नियम बनाये गये

है। उक्त नियमों को नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साइकोट्रेपिक सब्सटेंस (जब्ती, भंडारण, नमूनाकरण और निपटान) नियम, 2022 कहा गया है। उपरोक्त के अनुसार **''मजिस्ट्रेट''** का अर्थ **''न्यायिक मजिस्ट्रेट''** परिभाषित किया गया है। उक्त राजपत्र में स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत जप्तशुदा सामग्री/सम्पत्ति के नमूना लेने की प्रक्रिया एवं निपटान की प्रक्रिया उल्लेखित की गई है।

3– अतः उक्त संशोधन के आलोक में कार्य विभाजन आदेश वर्ष **2024** अनुसार जिला मुख्यालय देवास एवं तहसील मुख्यालय सोनकच्छ, टोंकखुर्द, बागली, कन्नौद, खातेगॉव में जिस न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास आरक्षी केन्द्र का प्रभार सौंपा गया है, उनके द्वारा स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) के तहत अधिनियम की धारा 52–क के तहत जप्त सामग्री/सम्पत्ति के संबंध में नमूना लेने के लिए आवेदन प्रस्तुत होने पर विधि एवं प्रक्रिया का पालन करते हुए आवेदन का समुचित निराकरण किया जावेगा।

4– यहॉ यह उल्लेख किया जाता है कि यदि संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के लम्बे अवकाश पर होने अथवा स्थानांतरण होने की दशा में उपरोक्त प्रकार के आवेदन का निराकरण कार्य विभाजन आदेश, 2024 के परिशिष्ट ''ए'' मे वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट के भार साधक न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा क्रमवार किया जावेगा।

नोट –(1) समस्त आरक्षी केन्द्रों या उनकी चौकियों से उत्पन्न ऐसे अभियोग–पत्र जो अनन्यतः माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, को संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा माननीय सत्र न्यायालय, देवास को उपार्पित किया जावेगा एवं समस्त अभिलेख देवास मे माननीय सत्र न्यायालय देवास को भेजे जावेंगे।

(2) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट समस्त देवास जिले में माननीय जिला न्यायाधीश महोदय को सूचित करने के उपरांत चलित न्यायालय लगा सकेंगे। देवास जिले मे समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी माननीय जिला न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति लेकर ही अपने–अपने आरक्षी केन्द्र के क्षेत्र मे चलित न्यायालय लगा सकेंगे ।

(3) ऐसे समस्त प्रकरण जिनका उल्लेख इस आपराधिक कार्यविभाजन–पत्रक मे नहीं है, ऐसे समस्त आपराधिक प्रकरणों से संबंधित कार्य मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास के न्यायालय मे प्रस्तुत होगे।

(4) इस कार्यविभाजन पत्रक के साथ **<u>परिशिष्ट ''ए''</u>** संलग्न है जो कार्य विभाजन पत्रक का अंग समझा जावेगा।

(5) जिन न्यायिक मजिस्ट्रेटो के समक्ष अभियुक्त रिमाण्ड डियूटी के दौरान या अन्य रिमाण्ड हेतु पेश किया जाता है, उन सभी न्यायिक अधिकारियों मे, उक्त उद्देश्य के लिये ऐसी अधिकारिता निहित समझी जावेगी, जो उन्हें ऐसे मजिस्ट्रेट की हैसियत से प्राप्त है ।

(6) किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश मे या अन्य किसी कारण से कर्तव्य से अनुपस्थित रहने की दशा मे उनके क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न होने वाले अत्यावश्यक प्रकृति के आपराधिक प्रकरण **<u>परिशिष्ट ''ए''</u>** मे उनके नाम के अगले क्रम मे दर्शित न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय मे प्रस्तुत किये जा सकेंगे और ऐसे न्यायिक मजिस्ट्रेट इन अत्यावश्यक प्रकरणों को पंजीयन का आदेश देकर केन्द्रीय पंजी मे दर्ज करा सकेंगे ।

(7) देवास जिले के समस्त आरक्षी केन्द्रों के खारजी प्रतिवेदन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होंगे। शेष दांडिक प्रकरणों के खात्मा प्रतिवेदन संबंधित आरक्षी केन्द्रो के क्षेत्राधिकार वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष प्रस्तुत करने पर निराकृत किये जायेगे।

(8) धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कथन **<u>परिशिष्ट ''बी''</u>** के अनुसार अभिलिखित किये जायेगे। उक्त मजिस्ट्रेट के उपलब्ध न होने पर या अवकाश पर होने पर जिला **देवास** में पदस्थ दण्डाधिकारी **<u>परिशिष्ट ''बी''</u>** के अनुसार क्रमवार कथन अभिलिखित करेंगे, जबकि **तहसील न्यायालयों** में पदस्थ मजिस्ट्रेट **परिशिष्ट ''ए''** के कॉलम नंबर 2, 3, 4 के अनुसार क्रमवार कथन अभिलिखित करेंगे।

(9) न्यायिक मजिस्ट्रेटों के अवकाश पर होने की दशा मे कार्यभारित मजिस्ट्रेट को उनके अधिकार क्षेत्र में दांडिक प्रकरण के संज्ञान लिये जाने का अधिकार होगा, परन्तु प्रकरण केन्द्रीय पंजी मे ही पंजीयन किये जावेगे ।

(10) न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने से या उपलब्ध ना होने से त्वरित निराकरण के

अपराध की स्वीकारोक्ति के समरी केसेस कार्यभारित न्यायिक मजिस्ट्रेट केन्द्रीय पंजीयन मे पंजीयन करवाकर निराकरण कर सकेंगे ।

(11) यदि पूर्व मे किसी न्यायालय द्वारा स्थाई वारंट जारी किया गया है और स्थाई वारंट के अनुपालन मे पुलिस वारंटी को गिरफ्तार कर न्यायालय मे प्रस्तुत करती है और स्थाई वारंट जारी करने वाला न्यायालय कार्यरत नहीं है या समाप्त हो चुका है, तब ऐसे वारंटी को उस मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा, जिसके पास वर्तमान मे **उस आरक्षी केन्द्र का प्रभार है, जिसके द्वारा वारंटी को न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है** और वहीं न्यायालय ऐसे वारंटी के विरूद्ध अभिलेख बुलाकर और अन्य सुसंगत कार्यवाही कर विधि अनुसार कार्यवाही अग्रसरित करेगा।

(12) धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत जिस न्यायालय द्वारा अंतिम भरण पोषण आदेश पारित किया गया है, और वह न्यायालय वर्तमान मे कार्यरत है, तो उक्त आदेश से संबंधित भरण–पोषण वसूली कार्यवाही अन्तर्गत धारा 125 (3) दण्ड प्रकिया संहिता उसी न्यायालय या उसके उत्तरवर्ती न्यायालय मे सम्पादित की जावेगी, जिस न्यायालय द्वारा भरण–पोषण का अंतिम आदेश दिया गया है, उक्त न्यायालय वर्तमान मे कार्यरत नहीं होने पर उक्त कार्यवाही उक्त आरक्षी केन्द्र की क्षेत्राधिकारिता रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जावेगी जिस आरक्षी केन्द्र से वह विविध प्रकरण उद्भूत हुआ है।

(13) जिन आपराधिक प्रकरणों के विचारण के लिये शासन द्वारा विशेष न्यायालय की स्थापना या गठन किया गया है, के दाण्डिक प्रकरण इस कार्य विभाजन पत्रक से अप्रभावित रहेंगे।

(14) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायाधीश की नियुक्ति आपराधिक प्रकरण में सिविल पदनाम अनुसार की जाती है, लेकिन आपराधिक प्रकरण में वर्तमान थाना क्षेत्राधिकार प्राप्त मजिस्ट्रेट द्वारा ही माननीय अपीलीय न्यायालयों से प्राप्त आदेश, निर्णय के क्रियान्वयन, एवं अन्य प्राप्त कार्यवाही प्राप्त किये जायेंगे, उस पर सिविल पदनाम या नियुक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी भी परिस्थिति में माननीय अपील/रिविजन न्यायालय से प्राप्त किसी भी प्रकार को वापस नहीं लौटाया जावे। किसी भ्रम की स्थिति में कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास से निर्देश प्राप्त करें।

(15) माननीय अपीलीय न्यायालयों से प्राप्त आदेश, निर्णय के क्रियान्वयन, एवं अन्य प्राप्त कार्यवाही दांडिक एवं विविध प्रकरणों से संबंधित प्राप्त होने पर उस न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ग्रहण किये जावेगे जिसके पास वर्तमान में उक्त थाने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है तथा जिस थाने के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उक्त प्रकरण उद्भूत हुआ है। साथ ही यदि माननीय अपील/रिविजन न्यायालय का कोई प्रकरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निराकृत किया गया हो और उसकी अपील निराकृत हुई हो, उक्त प्रकृति का प्रकरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय को प्रेषित किया जाए भले ही वर्तमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को उक्त थाने का क्षेत्राधिकार प्राप्त हो या नहीं।

(16) सिविल पदनाम से नियुक्ति होने के पश्चात आपराधिक कार्य विभाजन आदेश के अनुसार थाने का परिवर्तन होता रहता है, इस कारण यह सर्वदा उचित है कि जिस मजिस्ट्रेट के पास वर्तमान में थाना है उससे संबंधित समस्त अपीलीय/रिविजन न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरण का अभिलेख उनके द्वारा ही प्राप्त किया जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(17) आरक्षी केन्द्र अंकित न होने की दशा में **मुख्यालय देवास में श्री यशपाल सिंह जे.एम.एफ. सी., सोनकच्छ में कु. स्वाति बजाज, जे.एम.एफ.सी., टोंकखुर्द में श्री बुदेसिंह सोलंकी जे.एम.एफ.सी., बागली में श्री राकेश कुमार जाटव जे.एम.एफ.सी., कन्नौद में श्रीमती मीना शाह, जे.एम.एफ.सी. एवं खातेगॉव में श्रीमती संचिता भदकारिया, जे.एम.एफ.सी.** द्वारा कार्यवाही की जावेगी।

(18) ग्राम न्यायालय देवास तथा कन्नौद का कार्यभार संबंधित न्यायाधिकारी के अनुपस्थित रहने अथवा उपलब्ध न रहने की दशा मे कार्यविभाजन पत्रक के **परिशिष्ट 'ए'** के अनुसार प्रभारी अधिकारी क्रमवार प्रभार वहन करेंगे।

(19) धारा 164 द.प्र.स. के आवेदनों के निराकरण के संबंध में संबंधित मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने की दशा में उसके प्रभारी मजिस्ट्रेट द्वारा आवेदनों का निराकरण किया जावेगा, यदि प्रभारी मजिस्ट्रेट के पास धारा 164 द.प्र.स. के आवेदन से संबंधित मूल आरक्षी केंद्र का प्रभार है, तो इसके द्वितीय प्रभारी/तृतीय प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 164 द.प्र.स. के आवेदनों का निराकरण किया जावेगा।

(20) धारा 176 (1–ए) द.प्र.स. के तहत मृतक बंदियों की जॉच हेतु निम्न न्यायिक मजिस्ट्रेटों को अधिकृत किया जाता है :–

क्रं.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	दिनांक से	दिनांक तक
1	श्री यशपाल सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवास	01.01.2024	31.01.2024
2	श्रीमती अनु सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवास	01.02.2024	29.02.2024
3	सुश्री रश्मि खुराना न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवास	01.03.2024 01.08.2024	31.03.2024 31.08.2024
4	श्रीमती श्वेता अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवास	01.04.2024 01.09.2024	30.04.2024 30.09.2024
5	श्री प्रियांशु पाण्डे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवास	01.05.2024 01.10.2024	31.05.2024 01.11.2024
6	श्री अब्दुल अजहर अंसारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवास	01.06.2024 01.11.2024	30.06.2024 30.11.2024
7	श्रीमती आफरीन युसुफजई, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवास	01.07.2024 01.12.2024	31.07.2024 31.12.2024

नोट : यदि मृतक बंदी की मृत्यु दिनांक/पंचनामा बनाये जाने की दिनांक को संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश की दशा/मुख्यालय से बाहर रहने की दशा में मृत्यु जॉच/पंचनामा की कार्यवाही उनके प्रभार में कार्य का निष्पादन करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जावेगी।

परिशिष्ट – ''ए''

5– देवास जिले के समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश या कर्तव्य पर अनुपस्थित रहने की दशा मे जिनका नाम कॉलम नम्बर ''1'' मे दर्शित है वह तथा उनकी अनुपस्थित की दशा मे कॉलम नम्बर ''2'' मे वर्णित तथा उनकी भी अनुपस्थित मे कॉलम नम्बर ''3'' व उनकी भी अनुपस्थिति में कॉलम नं. ''4'' में वर्णित संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट अत्यावश्यक कार्य का सम्पादन कर सकेंगे। यदि कॉलम नं. 4 में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट भी अनुपस्थित हैं तो कॉलम नं. 4 में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट के भार साधक न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा क्रमवार अत्यावश्यक कार्य का सम्पादन किया जावेगा :–

क	**न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम /पद**	**अवकाश या कर्तव्य पर अनुपस्थित की दशा मे कार्यभारित पीठासीन अधिकारी का नाम / पद**			
		कॉलम–1	**कॉलम–2**	**कॉलम–3**	**कॉलम–4**
1	**शिव कुमार कौशल,** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास	श्री यशपालसिंह, जे.एम.एफ.सी. देवास	श्रीमती श्वेता अग्रवाल,जे.एम.एफ. सी. देवास	सुश्री रश्मि खुराना, जे.एम.एफ.सी. देवास	श्री अब्दुल अजहर अंसारी,जे.एम.एफ. सी. देवास
2	**श्री यशपाल सिंह,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवास	सुश्री रश्मि खुराना, जे.एम.एफ.सी. देवास	श्री प्रियांशु पाण्डे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवास	श्रीमती श्वेता अग्रवाल, जे.एम.एफ. सी. देवास	श्रीमती अनुसिंह , जे.एम.एफ.सी. देवास
3	**श्रीमती अनु सिंह,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवास	श्रीमती आफरीन युसुफजई,जे.एम.एफ. सी. देवास	सुश्री रश्मि खुराना, जे.एम.एफ.सी. देवास	श्रीमती श्वेता अग्रवाल,जे.एम.एफ. सी. देवास	श्री प्रियांशु पाण्डे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवास

4	**श्री प्रियांशु पाण्डे** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास	श्री अब्दुल अजहर अंसारी, जे.एम.एफ. सी. देवास	श्रीमती श्वेता अग्रवाल,जे.एम.एफ. सी. देवास	श्रीमती अनुसिंह , जे.एम.एफ.सी. देवास	सुश्री रश्मि खुराना, जे.एम.एफ.सी. देवास
5	**सुश्री रश्मि खुराना,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास	श्री प्रियांशु पाण्डे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवास	श्रीमती अनु सिंह, जे.एम.एफ.सी. देवास	श्रीमती आफरीन युसुफजई,जे.एम. एफ. सी. देवास	श्रीमती श्वेता अग्रवाल,जे.एम.एफ . सी. देवास
6	**श्री अब्दुल अजहर अंसारी** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास	सुश्री रश्मि खुराना, जे.एम.एफ.सी. देवास	श्रीमती श्वेता अग्रवाल,जे.एम.एफ. सी. देवास	श्री प्रियांशु पाण्डे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवास	श्री यशपाल सिंह जे.एम.एफ.सी. देवास
7	**श्रीमती श्वेता अग्रवाल,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास	सुश्री रश्मि खुराना, जे.एम.एफ.सी. देवास	श्रीमती अनुसिंह , जे.एम.एफ.सी. देवास	श्री प्रियांशु पाण्डे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवास	श्री अब्दुल अजहर अंसारी, जे.एम.एफ. सी. देवास
8	**सुश्री आफरीन युसुफजई** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास	श्री प्रियांशु पाण्डे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवास	सुश्री रश्मि खुराना, जे.एम.एफ.सी. देवास	श्रीमती अनु सिंह जे.एम.एफ.सी. देवास	श्रीमती श्वेता अग्रवाल,जे.एम.एफ. सी. देवास
9	**श्री सौरभ जैन,** न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, प्रशिक्षु न्यायाधीश, देवास	सुश्री पारूल जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, प्रशिक्षु न्यायाधीश, देवास	सुश्री संध्या मुदगल, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, प्रशिक्षु न्यायाधीश, देवास	श्रीमती श्वेता अग्रवाल, जे.एम.एफ.सी. देवास	श्रीमती आफरीन युसुफजई , जे.एम.एफ.सी. देवास
10	**सुश्री पारूल जैन,** न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, प्रशिक्षु न्यायाधीश, देवास	सुश्री संध्या मुदगल, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, प्रशिक्षु न्यायाधीश, देवास	श्री सौरभ जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, प्रशिक्षु न्यायाधीश, देवास	श्रीमती आफरीन युसुफजई ,जे.एम.एफ. सी. देवास	श्रीमती श्वेता अग्रवाल, जे.एम.एफ.सी. देवास
11	**सुश्री संध्या मुदगल,** न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, प्रशिक्षु न्यायाधीश, देवास	सुश्री पारूल जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, प्रशिक्षु न्यायाधीश, देवास	श्री सौरभ जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, प्रशिक्षु न्यायाधीश, देवास	श्रीमती श्वेता अग्रवाल,जे.एम.एफ. सी. देवास	श्रीमती आफरीन युसुफजई,जे.एम. एफ.सी. देवास
<u>टोकखुर्द</u>					
12	**श्री बुदेसिंह सोलंकी** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी टोकखुर्द	सुश्री श्वेता खरे, जे.एम.एस.सी. टोंकखुर्द	कु. स्वाति बजाज न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,सोनकच्छ	श्री अब्दुल अजहर अंसारी, जे.एम.एफ. सी. देवास	श्री प्रियांशु पाण्डे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवास
13	**सुश्री श्वेता खरे,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी टोकखुद	श्री बुदेसिंह सोलंकी जे.एम.एस.सी. टोंकखुर्द	कु. स्वाति बजाज न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,सोनकच्छ	श्री प्रियांशु पाण्डे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवास	श्री राजेश अंशेरिया,जे.एम.एफ. सी. देवास
<u>सोनकच्छ</u>					
14	**कु. स्वाति बजाज** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सोनकच्छ	सुश्री निकिता पवांर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्र0 श्रेणी सोनकच्छ	श्री बुदेसिंह सोलंकी जे.एम.एस. सी.टोंकखुर्द	श्रीमती श्वेता अग्रवाल, जे.एम.एफ. सी. देवास	श्री अब्दुल अजहर अंसारी,जे.एम.एफ. सी. देवास
15	**सुश्री निकिता पवांर** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सोनकच्छ	कु. स्वाति बजाज न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	सुश्री श्वेता खरे, जे.एम.एस.सी. टोंकखुर्द	श्री प्रियांशु पाण्डे, जे.एम.एफ.सी. देवास	श्री अब्दुल अजहर अंसारी,जे.एम.एफ. सी. देवास
<u>बागली</u>					
15	**श्री राकेश कुमार जाटव** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बागली	सुश्री वीणा अग्निहोत्री, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बागली	श्री अब्दुल अजहर अंसारी,जे.एम.एफ. सी. देवास	श्री प्रियांशु पाण्डे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवास	श्रीमती श्वेता अग्रवाल, जे.एम. एफ.सी. देवास

16	**सुश्री वीणा अग्निहोत्री** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बागली	श्री राकेश कुमार जाटव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बागली	श्रीमती श्वेता अग्रवाल, जे.एम. एफ.सी. देवास	श्री अब्दुल अजहर अंसारी,जे.एम.एफ.सी. देवास	श्री प्रियांशु पाण्डे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवास
कन्नौद					
17	**श्रीमती मीना शाह** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कन्नौद,	सुश्री नंदिता उईके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कन्नौद	सुश्री हर्षिता सोनी न्या. मजिस्ट्रेट प्रथम कन्नौद	श्रीमती संचिता भदकारिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खातेगांव	श्री राजू पन्द्रे, न्या. मजि. प्रथम श्रेणी खातेगांव
18	**सुश्री नंदिता उईके** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कन्नौद	श्रीमती मीना शाह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कन्नौद,	सुश्री हर्षिता सोनी न्या. मजिस्ट्रेट प्रथम कन्नौद	श्री राजू पन्द्रे, न्या. मजि. प्रथम श्रेणी खातेगांव	श्रीमती संचिता भदकारिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खातेगांव
19	**सुश्री हर्षिता सोनी** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम कन्नौद	सुश्री नंदिता उईके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कन्नौद	श्रीमती मीना शाह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कन्नौद	श्री राजू पन्द्रे, न्या. मजि. प्रथम श्रेणी खातेगांव	श्रीमती संचिता भदकारिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खातेगांव
खातेगॉव					
20	**श्रीमती संचिता भदकारिया,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,	श्री राजू पन्द्रे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खातेगांव	श्रीमती मीना शाह न्या. मजि. प्रथम श्रेणी कन्नौद	सुश्री हर्षिता सोनी न्या. मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कन्नौद	सुश्री नंदिता उईके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कन्नौद
21	**श्री राजू पन्द्रे,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खातेगांव	श्रीमती संचिता भदकारिया न्यायिक म.प्र. श्रेणी खातेगांव	सुश्री हर्षिता सोनी न्या. मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कन्नौद	सुश्री नंदिता उईके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कन्नौद	श्रीमती मीना शाह न्या. मजि. प्रथम श्रेणी कन्नौद

परिशिष्ट –''बी''

:: धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन कथन एवं संस्वीकृतियॉ ::

6– मध्यप्रदेश राजपत्र प्राधिकार से प्रकाशित कमांक 21, भोपाल शुक्रवार दिनांक 26 मई, 2023 के पालन में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 477 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय एतद्द्वारा मध्यप्रदेश नियम तथा आदेश (आपराधिक) में निम्नलिखित संशोधन किया गया है।

7– उक्त नियम तथा आदेश में अध्याय चार में नियम 87 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किये गये हैं। धारा 164 के अधीन **(2) जहॉ कथन अभियोक्त्री का है, वहॉ वह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 की उपधारा (5–क) के अधीन विशेषतः महिला न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाएगा।**

8– धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन कथन एवं संस्वीकृतियॉ ''अनुसूची बी'' में जहॉ–जहॉ शब्द अभियोक्त्री/पीड़िता **(महिला उत्पीड़न से संबंधित)**'' लेख है, उक्त अनुसार नवीन अनुसूची ''बी''–''अ'' समाविष्ट किया जाता है।

परिशिष्ट ''बी''– ''अ''

क्र.	आरक्षी केन्द्र का नाम	प्रथम प्रभारी	द्वितीय प्रभारी	तृतीय प्रभारी
1	थाना कोतवाली एवं सिविल लाइन, ए.जे.के. देवास	सुश्री रश्मि खुराना, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास	श्रीमती श्वेता अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास	श्रीमती अनुसिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास
2	थाना बैंक नोट प्रेस एवं औद्योगिक क्षेत्र, महिला थाना देवास	श्रीमती अनुसिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास	सुश्री रश्मि खुराना, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास	श्रीमती श्वेता अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास
3	थाना नाहर दरवाजा, बरोठा, विजयागंज मण्डी	श्रीमती आफरीन युसुफजई न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास	श्रीमती अनुसिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास	श्रीमती श्वेता अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास

महिलाओं से संबंधित अपराधों को छोड़कर **अन्य मामलों में धारा 164 द.प्र.स.** के कथनों का प्रभार निम्नानुसार किया जाता है :–

क0	**आरक्षी केन्द्र का नाम**	**न्यायिक अधिकारी का नाम/ पद**
1	थाना कोतवाली एवं सिविल लाइन, ए.जे.के. देवास	श्री यशपाल सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास
2	थाना बैंक नोट प्रेस, औद्योगिक क्षेत्र,	श्री अब्दुल अजहर अंसारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास
3	थाना नाहर दरवाजा, बरोठा, विजयागंज मण्डी,	श्री प्रियांशु पाण्डे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास
4	थाना कोतवाली, सिविल लाइन, औद्योगिक क्षेत्र, बरोठा से उद्भूत ऐसे अपराध जिनके अभियोग पत्र **किशोर न्याय बोर्ड** के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे।	श्रीमती आफरीन युसुफजई, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास
5	पुलिस थाना बी.एन.पी., नाहर दरवाजा, विजयागंज मंडी से उद्भूत ऐसे अपराध जिनके अभियोग पत्र **किशोर न्याय बोर्ड** के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे।	श्री प्रियांशु पाण्डे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास।

संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के अवकाश या कर्तव्य पर अनुपस्थित रहने की दशा मे **परिशिष्ट– ''ए'' में** जिनका नाम कॉलम नम्बर ''1'' मे दर्शित है वह तथा उनकी अनुपस्थित की दशा मे कॉलम नम्बर ''2'' मे वर्णित तथा उनकी भी अनुपस्थित मे कॉलम नम्बर ''3'' में वर्णित संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के कथन अभिलिखित करेंगे। यदि कॉलम नं. 3 में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट भी अनुपस्थित हैं तो कॉलम नं. 3 में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट के भारसाधक न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा क्रमवार धारा 164 द0प्र0सं0 के कथन अभिलिखित किए जावेंगे :–

क.	**न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम /पद**	**अवकाश या कर्तव्य पर अनुपस्थित की दशा मे कार्यभारित पीठासीन अधिकारी का नाम / पद**		
		कॉलम–1	**कॉलम–2**	**कॉलम–3**
1	श्री यशपाल सिंह जे.एम.एफ.सी. देवास	सुश्री रश्मि खुराना जे.एम.एफ.सी. देवास	श्री प्रियांशु पाण्डे जे.एम.एफ.सी. देवास	श्रीमती श्वेता अग्रवाल, जे.एम.एफ.सी. देवास
2	श्रीमती अनु सिंह जे.एम.एफ.सी. देवास	श्रीमती आफरीन युसुफजई, जे.एम.एफ.सी. देवास	सुश्री रश्मि खुराना जे.एम.एफ.सी. देवास	श्रीमती श्वेता अग्रवाल जे.एम.एफ.

				सी., देवास
3	श्री प्रियांशु पाण्डे जे.एम.एफ.सी. देवास	श्री अब्दुल अजहर अंसारी जे.एम.एफ.सी. देवास	श्रीमती श्वेता अग्रवाल जे.एम.एफ.सी., देवास	श्रीमती अनु सिंह, जे.एम.एफ.सी. देवास
4	सुश्री रश्मि खुराना जे.एम.एफ.सी. देवास	श्री प्रियांशु पाण्डे जे.एम.एफ.सी. देवास	श्रीमती अनु सिंह, जे.एम.एफ.सी. देवास	श्रीमती आफरीन युसुफजई, जे.एम.एफ. सी. देवास
5	श्री अब्दुल अजहर अंसारी, जे.एम.एफ.सी. देवास	श्रीमती अनु सिंह, जे.एम.एफ.सी. देवास	श्रीमती श्वेता अग्रवाल जे.एम.एफ.सी., देवास	श्री प्रियांशु पाण्डे जे.एम.एफ.सी. देवास
6	श्रीमती श्वेता अग्रवाल, जे.एम.एफ.सी. देवास	सुश्री रश्मि खुराना, जे.एम.एफ.सी. देवास	श्रीमती आफरीन युसुफजई जे.एम.एफ.सी. देवास	श्री प्रियांशु पाण्डे जे.एम.एफ.सी. देवास
7	श्रीमती आफरीन युसुफजई जे.एम.एफ.सी. देवास	श्री यशपाल सिंह जे.एम.एफ.सी. देवास	सुश्री रश्मि खुराना, जे.एम.एफ.सी. देवास	श्रीमती श्वेता अग्रवाल जे.एम.एफ. सी., देवास

तहसील न्यायालयों में धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कथन **परिशिष्ट ''बी–अ''** के अनुसार अभिलिखित किये जायेगे। उक्त मजिस्ट्रेट के उपलब्ध न होने पर या अवकाश पर होने पर कार्यभारित अधिकारी **परिशिष्ट ''ए''** के कॉलम नंबर **2, 3, 4** के अनुसार क्रमवार कथन अभिलिखित करेंगे :–

<u>सोनकच्छ</u>

1	थाना भौंरासा, पीपलरावॉ।	कु. स्वाति बजाज, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सोनकच्छ देवास
2	थाना सोनकच्छ, भौंरासा, पीपलरावॉ क्षेत्र से उद्भुत होनेवाले **केवल महिलाओं के विरूद्ध अपराध।**	सुश्री निकिता पवांर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास
3	थाना सोनकच्छ।	सुश्री निकिता पवांर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सोनकच्छ देवास
टोंकखुर्द		
1	थाना टोंकखुर्द एवं भौंरासा	सुश्री श्वेता खरे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, टोंकखुर्द
2	थाना पीपलरावॉ, मक्सी।	श्री बुदेसिंह सोलंकी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी टोंकखुर्द
3	थाना टोंकखुर्द, मक्सी भौंरासा एवं पीपलरावां क्षेत्र से उद्भुत होने वाले **केवल महिलाओं के विरूद्ध अपराध।**	कु. स्वाति बजाज, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सोनकच्छ देवास
बागली		
1	थाना बागली, उदयनगर	श्री राकेश कुमार जाटव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बागली
2	थाना हाटपिपल्या	श्रीमती वीणा अग्निहोत्री, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बागली
	थाना हाटपीपल्या से उद्भूत महिलाओं के विरूद्ध अपराध	श्रीमती वीणा अग्निहोत्री, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बागली
3	थाना बागली, उदयनगर क्षेत्र से उद्भुत **केवल महिलाओं के विरूद्ध अपराध।**	श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कन्नौद
कन्नौद		

1	थाना कन्नौद, कॉटाफोड	श्रीमती सुश्री नंदिता उईके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कन्नौद
2	थाना सतवास	श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कन्नौद
4	थाना कन्नौद, कॉटाफोड के **केवल महिलाओं के विरूद्ध अपराध।**	सुश्री हर्षिता सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कन्नौद
खातेगॉव		
1	थाना खातेगॉव,	श्री राजू पन्द्रे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खातेगॉव
2	थाना नेमावर, हरणगॉव।	श्रीमती संचिता भदकारिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खातेगॉव
3	थाना खातेगांव, नेमावर व हरणगॉव से उद्भुत **केवल महिलाओं के विरूद्ध अपराध।**	श्रीमती नंदिनी उईके, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कन्नौद

1— तहसील मुख्यालय टोंकखुर्द के थाना टोंकखुर्द, मक्सी, भौरांसा एवं पीपलरांवा के केवल महिलाओं के विरूद्ध अपराध के धारा 164 द.प्र.स. के कथन हेतु प्रथम प्रभारी कु. स्वाति बजाज न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सोनकच्छ द्वितीय प्रभारी, श्रीमती निकिता पवांर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सोनकच्छ, तृतीय प्रभारी श्रीमती आफरीन युसुफजई, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवास, चतुर्थ प्रभारी सुश्री रश्मि खुराना, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवास रहेंगे।

2— तहसील मुख्यालय सोनकच्छ के थाना सोनकच्छ, भौंरासा, पीपलरावा क्षेत्र के केवल महिलाओं के विरूद्ध अपराध के धारा 164 द.प्र.स. के कथन हेतु प्रथम प्रभारी श्रीमती निकिता पवांर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सोनकच्छ, द्वितीय प्रभारी श्रीमती श्वेता अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवास, तृतीय प्रभारी श्रीमती अनुसिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवास, चतुर्थ प्रभारी श्रीमती आफरीन युसुफजइ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवास रहेंगे।

3— तहसील मुख्यालय बागली के थाना बागली, उदयनगर के केवल महिलाओं के विरूद्ध अपराध के धारा 164 द.प्र.स. के कथन हेतु प्रथम प्रभारी श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कन्नौद, व थाना हाटपीपल्या के धारा 164 द.प्र.स. के कथन श्रीमती वीणा अग्निहोत्री, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बागली, द्वितीय प्रभारी श्रीमती नंदिनी उईके, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कन्नौद, तृतीय प्रभारी श्रीमती हर्षिता सोनी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कन्नौद, चतुर्थ प्रभारी श्रीमती संचिता भदकारिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खातेगॉव जिला देवास रहेंगे।

4— तहसील मुख्यालय कन्नौद के थाना कन्नौद, कांटाफोड, सतवास के केवल महिलाओं के विरूद्ध अपराध के धारा 164 द.प्र.स. के कथन हेतु प्रथम प्रभारी श्रीमती हर्षिता सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कन्नौद, द्वितीय प्रभारी श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कन्नौद, तृतीय प्रभारी श्रीमती संचिता भदकारिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खातेगॉव, चतुर्थ प्रभारी श्रीमती वीणा अग्निहोत्री, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बागली जिला देवास रहेंगे।

5— तहसील मुख्यालय खातेगॉव के थाना खातेगॉव, नेमावर व हरणगॉव के केवल महिलाओं के विरूद्ध अपराध के धारा 164 द.प्र.स. के कथन हेतु प्रथम प्रभारी श्रीमती नंदिनी उईके, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कन्नौद, द्वितीय प्रभारी श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कन्नौद, तृतीय प्रभारी श्रीमती हर्षिता सोनी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कन्नौद, चतुर्थ प्रभारी श्रीमती वीणा अग्निहोत्री, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बागली जिला देवास रहेंगे।

6— सार्वजनिक अवकाश के दिनों में धारा 164 द.प्र.स. के तहत कथन अभिलिखित किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत होने पर रिमांड कार्यवाही सम्पन्न करने वाले न्यायालय द्वारा उक्त कथन अभिलिखित किये जावेंगे।

(शिव कुमार कौशल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला देवास (म.प्र.)

<u>माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, देवास की ओर अनुमोदनार्थ सादर प्रेषित</u>

अनुमोदित,
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास

कार्यालय– शिव कुमार कौशल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवास (म.प्र)

पृष्ठांकन क्रमांक 10/कार्य विभाजन/2024 देवास, दिनांक 09.01.2024

प्रतिलिपि–

1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, देवास की ओर सादर सूचनार्थ।
2. माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय, देवास की ओर सादर सूचनार्थ।
3. श्री .....न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवास/ सोनकच्छ/बागली/कन्नौद/खातेगांव/टोंकखुद

की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

4. जिला लोक अभियोजन अधिकारी देवास,
5. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, देवास/सोनकच्छ/बागली/कन्नौद/खातेगांव/टोंकखुर्द,
6. श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय, देवास
7. श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, देवास
8 अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस .....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

9– जूनियर सिस्टम एनॉलिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, देवास की ओर उक्त आदेश को जिला न्यायालय, देवास की वेबसाईट पर अपलोड करने के निर्देश सहित अग्रेषित।

(शिव कुमार कौशल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
देवास (म.प्र.)

<u>कार्यालय– शिव कुमार कौशल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला देवास</u>

क्रमांक / स्टेनो / 79 / 2022 देवास, दिनांक 18.04.2023

प्रति,

माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय,
जिला देवास म.प्र.

विषयः– आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक अनुमोदन हेतु प्रेषित करने बाबत्।

———000———

माननीय महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत सादर निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के आदेशानुसार देवास जिला पदस्थापना पर पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटगण के स्थानांतरण होने एवं नवीन मजिस्ट्रेटों की पदस्थापना होने से देवास जिले में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों के मध्य दांडिक कार्य का विभाजन किया जाना आवश्यक होने से पुनः आपराधिक कार्य विभाजन आदेश तैयार किया जाकर अनुमोदन हेतु माननीय महोदय की ओर सादर प्रेषित है।

<u>संलग्न :</u>

कार्य विभाजन आदेश मूलतः ।

(शिव कुमार कौशल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
देवास (म.प्र.)